


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 04]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2014/पौष 13, 1935

No. 04]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2014/PAUSHA 13, 1935

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2014

पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन।

सं. 15/3/2010-पारेषण.—विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देश संकल्प सं. 11/5/2005-पीजी (ii) दिनांक 13-4-2006 के तहत अधिसूचित किए गए थे और 07-07-2007, 10-10-2008 और 02-05-2012 को संशोधित किए गए थे।

उपरोक्त दिशानिर्देशों में एतद्वारा निम्नलिखित आगे और संशोधन किए जाते हैं।

अधिकार प्राप्त समिति- पैरा 13 को निम्नलिखित के स्थान पर रखा गया है :—

“13. विद्युत मंत्रालय द्वारा एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की जाएगी। समिति की अध्यक्षता सीईए के सदस्य (विद्युत प्रणाली) द्वारा की जाएगी। सीईए के सदस्य (ई एण्ड सी) समिति के सदस्य होंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त समिति में विद्युत मंत्रालय, योजना आयोग, सीटीयू* के प्रतिनिधि और विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने वाले विद्युत क्षेत्र के दो विशेषज्ञ होंगे।”

धनश्याम प्रसाद, निदेशक (पारेषण)

MINISTRY OF POWER**RESOLUTION**

New Delhi, the 2nd January, 2014

Amendment to the Guidelines for Encouraging Competition in Development of Transmission Projects.

No. 15/3/2010-Trans.—The Guidelines for Encouraging Competition in Development of Transmission Projects had been notified vide Resolution No. 11/5/2005-PG(ii) dated 13-04-2006 and were amended on 07-07-2007, 10-10-2008 and 02-05-2012 under the provisions of the Electricity Act, 2003.

The following further amendment is hereby made in the above guidelines.

EMPOWERED COMMITTEE – Para 13 has been substituted by the following :—

“13. An Empowered Committee will be constituted by the Ministry of Power. The Committee will be chaired by Member (Power System) from the CEA. It shall have Member (E&C) from the CEA as member. Besides the above, the Committee shall have representatives from the Ministry of Power, the Planning Commission, the CTU* and two experts from the power sector to be nominated by the Ministry of Power.”

GHANSHYAM PRASAD, Director (Trans)